कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांक– 4622/1A-1 ,बुलन्दशहर, दिनांक, 30 जून,2023

सेवा में,

वन संरक्षक
मेरठ वृत्त मेरठ।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली–कानपुर मार्ग (एन0एच0–91) के किमी0 60 (चैनेज 59.130) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या 165 में हिन्दुस्तान पट्रोलियम कार्पो0लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017)

सन्दर्भः– उप सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्र सं0 पी–103/81–2–2023–800(131)/2023 दिनांक 24.05.2023 एवं आपका पत्र सं0 3739/11सी–एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017 दिनांक 26.05.2023 ।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा श्री मुकेश सिरोही, प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना, श्री वीरेन्द्र कुमार, सैक्शन अधिकारी, सिकन्द्राबाद स्याना रेंज, श्री लोकेश कुमार, बीट प्रभारी, सिकन्द्राबाद स्याना रेंज के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया है। इस सम्बन्ध में श्री मुकेश सिरोही, श्री वीरेन्द्र कुमार एवं श्री लोकेश कुमार सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया था। श्री मुकेश सिरोही ने अपने स्पष्टीकरण के जबाव में अवगत कराया है कि पट्रोल पम्प का निर्माण वर्ष 2013 में कराया गया था। मै वर्ष 2013 में स्याना रेंज के चार्ज में नहीं था। इसी प्रकार श्री वीरेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि मैं वर्ष 2013 में सिकन्द्राबाद सैक्शन के चार्ज में नहीं था, तथा श्री लोकेश कुमार ने अवगत कराया है कि मैं वर्ष 2013 में सिकन्द्राबाद बीट में चार्ज में नहीं था। प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना से रिपोर्ट मांगी गयी कि वर्ष 2013–14 में कौन क्षेत्रीय वन अधिकारी, सैक्शन प्रभारी एवं बीट प्रभारी थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2013–14 में श्री मुमताज अली, क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना रेंज के चार्ज में थे, जो सेवानिवृत्त हो गये हैं, तथा श्री यशपाल सिंह, सिकन्द्राबाद सैक्शन प्रभारी एवं सिकन्द्राबाद बीट प्रभारी के चार्ज में थे जो सेवानिवृत्त हो गये हैं।

अवगत कराना है कि प्रकरण संज्ञान में आने पर श्री मुकेश सिरोही, प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना ने दिनांक 16.08.2022 को एच–2 केस संख्या 12/22–23 (स्याना रेंज) जारी कराया गया हैं, तथा प्रतिकर के रूप में रू0 70000/– ई–3 सं0 33/2633 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा वसूल किया गया है। तथा उनके द्वारा वाहनों के आवागमन में बिछायी गयी टाइल्स को उखडवा दिया गया है।

अतः रिर्पोट संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

संख्याः / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

14

वन विभाग उ0 प्र0

रेंज केस सं0 12/2022-23
प्रभागीय केस सं0
परिधि (सर्किल)

क्रम सं0............
खण्ड डिवीजन
सा0वा0 प्रभाग, बुलन्दशहर
अधिक्षेत्र (रेंज)

वन अपराध – वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं0.

---

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान :- चीफ डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड नोयडा

2. साक्षी का नाम :- श्री [illegible] सिंह व0र0

3. कथित अपराध, अपराध का पूरा विवरण और दिनांक :- दिनाँक 16/08/2022 को समय लगभग 10:40 बजे सुबह दिल्ली-कानपुर मार्ग NH91 के कि0मी0 59 की बाँयी (LB) पटरी के किनारे ग्राम लालपुर कि भूमि खसरा सं0-165 में रिटेल आउटलेट (हिन्दुस्तान आयल) के निर्माण हेतु भूमि में संरक्षित मार्ग पटरी को 0.~~014268~~ 0.1689245 हे0 लगाकर मार्ग पक्का करना।

4. मूल्य :-

5. चालान ओर अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष :- विभागीय कार्यवाही,

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख :- महोदय, आज दिनाँक 16/08/22 को समय लगभग 10:40 बजे सुबह पाया कि दिल्ली-कानपुर मार्ग कि0मी0 59 में बाँयी (LB) पटरी के किनारे हिन्दुस्तान आयल रिटेल आउटलेट ग्राम लालपुर कि भूमि खसरा नं0-165 में हिन्दुस्तान आयल भूमि में कम्पनी द्वारा के निर्माण में मार्ग पटरी में 0.~~014268~~ 0.1689245 हे0 सुरक्षित वन भूमि में मार्ग निर्माण इन्टरलॉक बिछाकर पक्का कर लिया है। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट आ0 सेवा में सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु प्रेषित है।

भवदीय
[signature]
([illegible] कुमार)
व0र0

सेवा में,
श्री वीरेन्द्र कुमार, व0द0

जाँच कर रिपोर्ट दें।
[signature]
क्षेत्रीय वनाधिकारी
[illegible] रेंज (बुलन्दशहर)

प्रतिहस्ताक्षरित
[signature]
[illegible] सिंह
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

[signature]

[signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर/खुर्जा

44/28-1

05/9/2022

प्रभागीय निदेशक बु०शहर :-

जाँच रिपोर्ट

महोदया, आपके आदेशानुसार रेंज H.R. केस सं०- 12/2022-23 की जाँच की गयी, केस में अभियुक्त चीफ डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड नोएडा जिला- गौतमबुद्ध नगर के द्वारा पैट्रोलपम्प के सामने दिल्ली- कानपुर मार्ग किमी० 51 की बाँयी पटरी वन संरक्षित भूमि 0.1689245 है० क्षेत्र में वन संरक्षित भूमि-1980 का उल्लंघन किया है, पैट्रोलपम्प के निजी भूमि खसरा सं०- 165 में टाईलों का निर्माण करते समय संरक्षित भूमि की जानकारी नहीं थी, पैट्रोल स्वामी द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है, जिसका प्रतिकर रूपया 70,000=00 E.R.No-33/2633 दिनांक- 25/08/2022 के द्वारा वसूल किया गया।

अतः केस को निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।

(वीर-कुमार)
वन दरोगा

मा० वनक्षेत्राधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
स्या० (बुलन्दशहर)

कुल शोध
70000/-

विनीता सिंह
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर/खुर्जा

ई-3 वन विभाग मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश

बुलन्दशहर ....वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी खुर्जा (बुलन्दशहर)

नं० 033

बुक नं०: 2633

क्षेत्रीय वनाधिकारी वन विभाग स्याना रेंज

श्री चीफ डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड नोएडा।

से मुबलिग रूपये- 70,000=00 (रूपया सत्तर हजार मात्र

बाबत रेंज म०केस सं०- 12/2022-23 का प्राप्त किये।

प्रशमन

वन अधिकारी

क्षेत्रीय वनाधिकारी

स्याना रेंज (बुलन्दशहर)

दिनांक - 25/08/2022

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर/खुर्जा

डिम्पीता सिंह
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।